



2026:AHC:181466

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30287 / 2026

रोहित

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रोहित कुमार सिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.सी. श्रीवास्तव ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित कुमार सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.सी. श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 279/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 131, 115(2), 352, 117(2), 351(2) एवं 103(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - बरौत, जिला - बागपत में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में पांच अन्य लोगों के साथ दर्ज है और एफआईआर के अनुसार, विवाद के चलते

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने अपने-अपने हथियारों से सूचनादाता के पिता पर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं, किन्तु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में इस मामले की एफआईआर धारा 109 बीएनएस और अन्य अपराधों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, किन्तु घायल की मृत्यु अर्थात् सूचनादाता के पिता की मृत्यु के बाद, मामले को धारा 103 (1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध में परिवर्तित कर दिया गया।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने गोली चलाई, किन्तु यह स्वीकार किया जाता है कि मृतक को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने पिस्तौल के बट से भी हमला किया, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के शरीर के गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें आई थीं और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि यह मामला धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं बढ़ता है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, किन्तु उनके आपराधिक इतिहास का विवरण इस जमानत याचिका में दिया गया है और दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक 05.05.2026 से जेल/कारागार में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है जिसने मृतक को अपनी देसी पिस्तौल के बट से चोटें पहुंचाईं, किन्तु इस तथ्य से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें आई थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं बढ़ता है।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. हालांकि, इससे पता चलता है कि आवेदक का नाम अन्य लोगों के साथ एफआईआर में दर्ज है और एफआईआर के अनुसार उसने अपनी देसी पिस्तौल के बट से मृतक को चोटें पहुंचाईं, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के शरीर के गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें आई थीं।

11. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करते हुए, यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में गुण-दोष पाता है कि प्रथम दृष्टया वर्तमान मामला धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं जाता है।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, किन्तु दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।

13. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 05.05.2026 से अर्थात् लगभग चार माह से जेल/कारागार में है।

14. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - रोहित को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 31, 2026

एके पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।